मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-डीजी-22/2016 दिनांकःलखनऊः मई 02,2016

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।

आप सभी अवगत हैं कि बाजारों में हो रहे अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न यातायात की समस्यायें जनता के सभी वर्गों को परेशान करती है। एक ओर वाहनों की बढ़ती संख्या और दूसरी ओर सड़कों पर कम होती जगह सभी नगरवासियों के लिए कठिनाईयॉ उत्पन्न कर रही है। इसके दृष्टिगत नगर/कस्बों में सड़क पर दुकानदारों/अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/वाहन चालकों/शापिंग माल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल/मल्टी स्टोरी व्यवसायिक बिल्डिंग के पास अत्यधिक भीड़/अतिक्रमण के कारण सुगम आवागमन में आम जनता को हो रही कठिनाईयों से निजात पाने के लिए नगर/कस्बों में हो रहे अतिक्रमण के विरूद्ध ठोस कार्ययोजना बनाकर उस पर प्रभावी कार्यवाही कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

2- नगर/कस्बों में सड़कों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अतिक्रमण करवाने से मूल कारण निम्नवत् हैं:-

(1)होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल/शापिंग काम्प्लेक्स/मल्टी स्टोरी व्यवसायिक बिल्डिंग आदि के स्वामियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में बनाये गये पार्किंग स्थल में वाहनों को खड़ा न कराकर पार्किंग स्थल का अन्य कार्यो में प्रयोग किया जा रहा है जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर वाहन खड़ा कराकर अतिक्रमण कराया जाता है।

(2) जनपद के कस्बों/भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर दो पहिया/चार पहिया वाहन चालकों द्वारा सामान खरीदारी करते समय सड़क पर बेतरतीब वाहनों को दुकान के ही सामने खड़ाकर दुकान के अन्दर जाकर खरीदारी करते समय सड़क को अतिक्रमण कर लेते हैं जिससे सड़क सकरी हो जाती है।

(3)जनपद के कस्बों/भीड़-भाड़ वाले स्थानों के दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने हेतु अपने दुकान के सामने सड़क पर ही वाहन खड़ा कराकर सड़क अतिक्रमण करते हुए सामान आदि बेचते है। दुकानदारों द्वारा पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़ी करने के लिए वाहन चालकों को नहीं बताते हैं जिसके कारण सड़क अतिक्रमित हो जाती है।

(4) सड़क के किनारे आधी सड़क तक बालू/गिट्टी व मलवा आदि गिराकर सड़क अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों द्वारा भी सड़क अतिक्रमण कर जाम की समस्या पैदा की जाती है।

3- उपरोक्तानुसार अतिक्रमण करने/कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निम्न प्राविधान/अधिनियम विद्यमान हैं:-

(1)भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 268 में यह उल्लिखित है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेन्स का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है जिससे लोक को या जन साधारण को जो आसपास में रहते हो या आसपास की सम्पत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यम्भावी हो।

(2)283 IPC. Danger or obstruction in public way or line of navigation.— Whoever, by doing any act, or by omitting to take order with any property in his possession or under his charge, causes danger, obstruction or injury to any person in any public way or public line of navigation, shall be punished with fine which may extend to two hundred rupees.

(3)दण्ड की धारा 290 भादवि मेंउक्त किये गये कार्य के लिए प्रथम बार अपराध कारित करने पर 200 रुपये का जुर्माने से दण्डित किया जायेगा का प्राविधान दिया गया है।

(4) दण्ड की धारा 291 भादवि में उक्त कार्य के लिए अपराध की पुनरावृत्ति करने पर या अपराध प्रचलित रखने पर सादा कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(5)पुलिस अधिनियम की धारा 34 में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी ढोर या किसी प्रकार के प्रवहरण को उस पर माल लादने या उस पर से माल उतारने या यात्रियों को लाने या उतारने के लिए उपेक्षित समय से अधिक समय के लिए खड़ा करता है या जो किसी प्रवहरण को इस तरह छोड़ देता है जिससे जनता को असुविधा होती है या संकट पैदा होती है। कोई व्यक्ति जो विक्रय के लिए किन्ही वस्तुओं को अभिदर्शित करता है। कोई व्यक्ति जो किसी कर्कट, गन्दगी, कूड़ा या किन्ही पत्थरों या इमारतीय सामग्री को फेकता या डालता है या जो किसी गोशाला या अश्वशाला या तत्सदृश संनिर्माण करता है या जो किसी गृह, कारखाने, गोबर या पशुओं के मल के ढेर या तत्सदृश से कोई संतापकारी पदार्थ बहाता है। उक्त कारित किये गये अपराधों के लिए पुलिस एक्ट की धारा 34 में उक्त अपराध कारित करने पर रुपये 50/-से अनधिक जुर्माने या कठोर परिश्रम सहित या रहित 08 दिन से अनधिक कारावास से दण्डित होगा।

4- उल्लेखनीय है कि लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान उल्लिखित किये गये हैं:-

(1)धारा 3:-लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि ;डपेबीपमद्धि (1) जो कोई उप धारा (2) में निर्दिष्ट प्रकार की लोक सम्पत्ति से भिन्न किसी लोक सम्पत्ति की बावत कोई कार्य कर के रिष्टि करेगा, व कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

(2) <u>उप धारा (2):-</u> जो कोई ऐसी किसी सम्पत्ति की बावत जो-(क) कोई ऐसा भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति, जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के सम्बन्ध में किया जाता है। (ख) कोई तेल प्रतिष्ठान है (ग) कोई मल संकर्म

है (घ) कोई खानया कारखाना है (ड़) लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन है या उसके सम्बन्ध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति हैकोई कार्य कर के रिष्टि करेगा, व कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, परन्तु न्यायालयऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किया जायेगा छः माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्ड दे सकेगा।

5- उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास संशोधन अधिनियम 1997 में दिये गये निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है:-

धारा 26ए:-**Encroachment or obstruction on public land.-**

(1) Whoever makes any encroachment on any land not being private property, whether such land belongs to or vests in the authority or not in a development area, except steps over drain in any public street, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to **one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees.**

(2) Any offence punishable under Sub-section (1) shall be cognizable.

(3) Whoever by placing or depositing building material or any other thing whatsoever, or otherwise makes any obstruction in any street or land not being private property, whether such street or land belongs to or vests in the Authority or not in a development area, except steps over drain in any public street. or placing of building material during such period as may be permitted on payment of stacking fees on a public street of public place,shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to **one month or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.**

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 'the Development Authority' or 'the Authority', द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।

6- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि बाजारों में हो रहे अतिक्रमण एवं उससे उत्पन्न यातायात की समस्याओं के निदान हेतु एक माह का अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित करायें । अभियान चलाने से पूर्व सभी स्टेक होल्डर्स जैसे नगर निगम, व्यापारी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, सभ्य समाज, मीडिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पी0डब्लू0डी0 के अधिकारी आदि का सहयोग लिया जाये । इस कार्य हेतु स्वयंसेवी संस्था का भी सहयोग लिया जा सकता है । इस सहयोग से पहले रात्रि के समय जब बाजार खाली हों तो सड़कों की चौड़ाई नापी जाये और फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी करायी जाये

तथा दिन के समय अतिक्रमण होने के बाद सड़कों की बची चौड़ाई को नापा जाये और उसकी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी जाय ताकि अतिक्रमण की समस्या को स्पष्ट रूप से देखा जा सके । सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक करने के बाद निम्न प्रकार कार्यवाही की जाय :-

(1) प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य बाजार, उस बीट के उप निरीक्षक/प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी।

(2) नगरीय थाने में पड़ने वाला उप बाजार/छोटा बाजार वहॉ के चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी ।

नगरीय थाने का तात्पर्य उन सभी थानों से है जहॉ नगर पंचायत/नगर निगम कार्य करते हैं।

7- शुरूआत में प्रत्येक नगरीय थाना क्षेत्र में 2 बाजार चिन्हित किये जायेंगे जहां अतिक्रमण एवं जाम की समस्या ज्यादा हो। चिन्हित बाजारों की अतिक्रमण सहित रिकार्डिंग Whatsapp/CD के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स को भेजी जायेगी तथा एक माह के अभियान के अन्तराल के बाद अतिक्रमण कम करने के प्रयास के उपरान्त अतिक्रमण की स्थिति में आये सुधार की रिकार्डिंग पुनः पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स को भेजी जायेगी

8- परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपने-अपने कार्यक्षेत्र में की गयी कार्य की समीक्षा का आंकलन करते हुए अपने परिक्षेत्र के प्रथम,द्वितीय व तृतीय बाजार तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय उप बाजार चिन्हित करेंगे । तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा अपने जोन के अन्तर्गत परिक्षेत्रों में चुने गये बाजारों में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय बाजार तथा प्रथम द्वितीय व तृतीय उप बाजार चिन्हित किये जायें । यह कार्य एक सप्ताह में सम्पादित किया जायेगा । इसी प्रकार जोन स्तर पर चयनित बाजारों में से प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय बाजार तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय उप बाजार चयनित किये जायेंगे ।

9- प्रदेश स्तर पर प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले थानों के अन्तर्गत आये बाजारों को क्रमशः रूपया-20000/-, 15000/- व 10000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जायें । इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले थानों के अन्तर्गत आये उप बाजारों को क्रमशः रूपया-10000/-, 7500/- व 5000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाये । जोन स्तर पर प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले थानों को क्रमशः रूपया-10000/-, 7500 व 5000/- तथा उप बाजारों के चौकी प्रभारियों को क्रमशः रूपया-5000/-, 4000/- व 3000/- पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाये।

10- पुलिस विभाग के लिए इस कार्य हेतु उन सभी अच्छी सोच वाले व्यक्तियों का सहयोग लें, जो अपने बाजार एवं शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाना चाहते हैं। पब्लिक ट्रॉसपोर्ट द्वारा जो अतिक्रमण किया

जाता है, उसके लिए पार्किंग स्टाप्स व स्टैन्डस को चिन्हित कर अतिक्रमण समाप्त किया जाये । एक अतिक्रमण रहित बाजार में व्यवसाय के भी बेहतर अवसर आयेंगे का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये । इस कार्य में मीडिया का सहयोग भी लिया जाये । मैं आशा करता हूँ कि सड़क पर सुगमता से चलने में सभी नागरिकों को सहूलियत हासिल होगी । इस प्रयास में सफलता प्राप्त कर हम सभी पुलिस कर्मी जनता को बेहतर सेवायें दे सकेंगे ।

11- **यह अभियान दिनांक 09 मई से 08 जून, 2016 तक चलाया जायेगा एवं इसकी आख्या सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षक मय अपनी संस्तुति के साथ 15 जून, 2016 तक अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे ।**

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।